

Grant of Import Licence to M/s Ranbaxy for Doxycycline Project

87. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) value of capital goods import licence granted to M/s. Ranbaxy for the import of plant and machinery for their Doxycycline project;

(b) whether orders have been placed for the capital goods required for the project and if so, date, value and delivery schedule of orders placed; and

(c) whether all equipments ordered for the project have been received, and when is the plant likely to be commissioned?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) M/s. Ranbaxy have been granted Licence for the manufacture of Doxycycline subject to the condition, *inter alia*, that no import of capital goods shall be allowed.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Views of National Forum of Share Holders on Purchasing Shares of Companies

88. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Forum of Shareholders has urged Government to prohibit companies from using their funds for purchasing shares of other companies; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Forum's suggestion along-with the Sachar Committee's recommendations on the subject are under consideration of Government and appropriate action for legislative amendments will be taken in due course.

गुजरात द्वारा शीरा निर्यात करने की अनुमति मांगा जाना

89. श्री धर्म सिंह जाई पटेल : क्या वैदोलियम, रसायन और उर्बरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार के उद्योग आयुक्त, प्रहमदाबाद ने, उकामोर्सिस एक्सपोर्ट 8899 दिनांक 30 जून, 1978 के अनुसार मंत्रालय से यह सिफारिश की है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में अणलेन, धीराजी आम जोधपुर खादि तालुकों में खण्डसारी मिलों द्वारा उत्पादित 30,000 टन शीरा का राज्य व्यापार नियम अथवा किन्हीं दो व्यक्तियों के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति दी जाए,

(ख) यदि हां, तो शीरे के निर्यात की अनुमति कब दी गई थी,

(ग) यदि अभी तक अनुमति नहीं दी गई तो इसके क्या कारण हैं; और

॥ (घ) उसके निर्यात की अनुमति कब और किस प्रकार दी जाएगी।

वैदोलियम, रसायन और उर्बरक मंत्री (श्री हेमवती नन्वन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात से भारत के राज्य व्यापार नियम (एस. टी. सी.) के द्वारा 30,000 मी. टन खण्डसारी शीरे के निर्यात की स्वीकृति 30 अगस्त 1978 को प्रदान की गई थी। किन्तु उत्पादनकर्ता युनिटों से बन्दरगाहों तक शीरे के परिवहन और निर्यात के लिए प्रबंध करने में एस. टी. सी. कठिनाइयों का सामना कर रही थी। इसी बीच सें दिनांक 29 नवम्बर 1978 से शीरे को प्रो. जी. एल. के अन्तर्गत लाया गया था जिसके अधीन इसे राज्य सरकार की अनुमति से 31-3-79 से पहले निर्यात किया जाएगा। दि गुजरात खण्डसारी मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन भी यह सुविधा प्राप्त कर सकती है।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।